रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3258] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2017/अग्रहायण 1, 1939
No. 3258] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2017

का.आ. 3712(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) तथा उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों में स्थित है और यह 1842.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गोदेना और देवधारा जैसे कई झरने इस क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता को समृद्ध बनाते हैं यह प्रचुर जैव विविधता और वनों से संपन्न है। इस बाघ रिजर्व की जल निकास प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नदी महानदी के साथ उसकी सहायक नदियाँ उदांती, सीतानदी, इंद्रावन और पेरी नदियां शामिल हैं;

और, यह बाघ रिजर्व एक महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो अपने समृद्ध पर्यावास के लिए जाना जाता है। यहां विविध प्रकार की वनस्पति और जीवजंतु पाए जाते है। इस संरक्षित क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण वनस्पति प्रजातियों में सतवार (असपरागुस रेकेमूसुस), रामदातुन (स्मिलिक्स जीयलानीका), चार (बुचानानिया लान्जन), मैदा छाल (लिस्टीए ग्लुतिनोसा), बाइबिडिग (एम्बेलिया रोबुस्टा), धावरा (एनोगेइससुस लैटिफोलिया), रोहनी (सोयमिदा फेबरिफुगा), बीजा (पटेटोकारपुस मारसुपियम), कुसुम (श्लेइचारा ओलीसा) आदि सम्मिलित हैं;

और, इस बाघ रिजर्व में कई स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों, मछलियों और विविध प्रकार की तितलियों और कीड़े-मकोड़ो का वास भी है इस क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण स्तनधारियों में बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), जंगली भैसा *(बुबालुस बुबालिस),* नीलगाय *(बोसेलाफ़ुस ट्रागोकेमेलुस),* मुंजक *(मुंटीअकुस मुंटजैक), स्लोथ* रीछ *(मेलर्सस अरसिनस)* आदि सम्मिलित है। इस संरक्षित क्षेत्र की मुख्य पक्षी प्रजातियों में ब्राउन फिशआउल *(बूबो जेलोनेंसिस),कठफोडवा (दीनोपियम बेंघालेंसे),* वाईट स्पोट्टेड फंटेइल फ्लाईकेचर *(रिपिड़ुरा अलबिकोल्लिस),* कौड़िल्ला *(कैरेल रूडीस*) और कई अन्य प्रजातियां सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पति सालपारनी *(डेसमोडियम गैंगेटीकम)* और स्थानिक जीवजंतु रस्टी स्पोट्टेड बिल्ली *(प्रिओनाईलुरूप रूबीगीनोसस*) हैं।

और, उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को पारिस्थितिकी पर्यावरण और जैव -विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में गरियाबंद और धमतरी जिलों में उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व की सीमा से 4.2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार इसके चारों ओर 0 से 4.2 किलोमीटर तक है। उड़ीसा के साथ लगी अंत:राज्य सीमा के पूर्वी और दक्षिणी भागों की ओर इसका सीमा -विस्तार शून्य है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 472.14 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को दर्शाने वाला संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध I पर है** और संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांको की सूची **उपाबंध I क और उपाबंध I ख** पर दी गई है।

(3) मुख्य बिंदुओं के भू- निर्देशांको के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध** II के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, सरकारी राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके आंचलिक महायोजना बनाएंगी।

(2) इस प्रकार बनायी गई आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुबंधो के अनुरूप होगी और उसमें पर्यावरणीय सरोकार शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
(xii) लोक निर्माण विभाग।

(6) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(8) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार निषिद्ध किए गए, विनियमित किए और बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापों सम्बधी व्यवस्था का पालन किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी- अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बधित उसके कर्तव्यों के निर्वहन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का वाणिज्य और उद्योग संबंधी विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा- 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि के संपरिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण

(ii) पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे कि तंबू और लकड़ी के मकान;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) ग्रामीण सहित उद्योगों कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं ।

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि कि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) पारिस्थितिकी पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना का भाग होगें ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व और वन विभाग, परामर्श से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर्यटन के विभाग द्वारा तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **निगरानी समिति --** पहली निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, राज्य सरकार मामले को केंद्रीय सरकार को भेजे बिना, पैरा 5 में दिए गए संघटन के अनुसार परवर्ती निगरानी समितियों का पुनर्गठन करेगी।

(5) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हे आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(7) **ध्वनि प्रदूषण**– छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(8) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पालन किया जाएगा ।

(9) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(10) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(I) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(II) गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(11) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(12) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(13) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(16) **वाहन-प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(17) औद्योगिक ईकाइयां: - (क) विधि के अनुसार स्थापित मौजूदा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नये काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित या बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में

		केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
(3)	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटलों और रिजॉटों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजार्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग,; सुविधा भण्डार और गृह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं हैं; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप।
(12)	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार श्वेत श्रेणी के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

(13)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि अथवा सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
(14)	विद्युत और संचार टॉवर लगाने तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	रेलवे लाइनो के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
(15)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
(16)	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(17)	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
(18)	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(19)	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(20)	वायु, यातायात और ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(22)	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(23)	घूमन्तु चरवाहे।	इसका विनियमन लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा।
(24)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
(25)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
(26)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(27)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप।	वन विभाग द्वारा की जाने वाली सरकारी निगरानी/सर्वेक्षण के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगे।
(28)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(29)	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(30)	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप		
(31)	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जलीय कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
(32)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

(34)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(40)	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(41)	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति - केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधिन पहली निगरीनी समिति गठित करती है। पहली निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, राज्य सरकार मामले को केंद्र सरकार के बिना, निम्नलिखित संथरन के अनुसार परिवर्ती निगरानी समितियों का पुन: गठन करेगी:--

(i)	कलेक्टर, गरीबंद	-अध्यक्ष;
(ii)	कलेक्टर, धमतरी	-सदस्य;
(iii)	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ –	-सदस्य;
(iv)	संभागीय वन अधिकारी, गरीबंद	-सदस्य;
(v)	संभागीय वन अधिकारी, धमतरी	-सदस्य;
(vi)	जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गरीबंद और धमतरी-	-सदस्य;
(vii)	छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(viii)	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	-सदस्य;
(ix)	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(x)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, गरीबंद/ धमतरी	-सदस्य;
(xi)	अधीक्षण इंजीनियर, जन स्वास्थ्य विभाग, गरीबंद/धमतरी	-सदस्य;
(xii)	रायपुर जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(xiii)	उप निदेशक, उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	-सदस्य सचिव।

विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का गठन किए जाने तक होगा।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, अधिसूचना 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए पश्चवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं, जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों ही विचार किया जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध III** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/30/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध–I

<u>पारिस्थितिकी संवेदी जोन सहित उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ का मानचित्र</u>

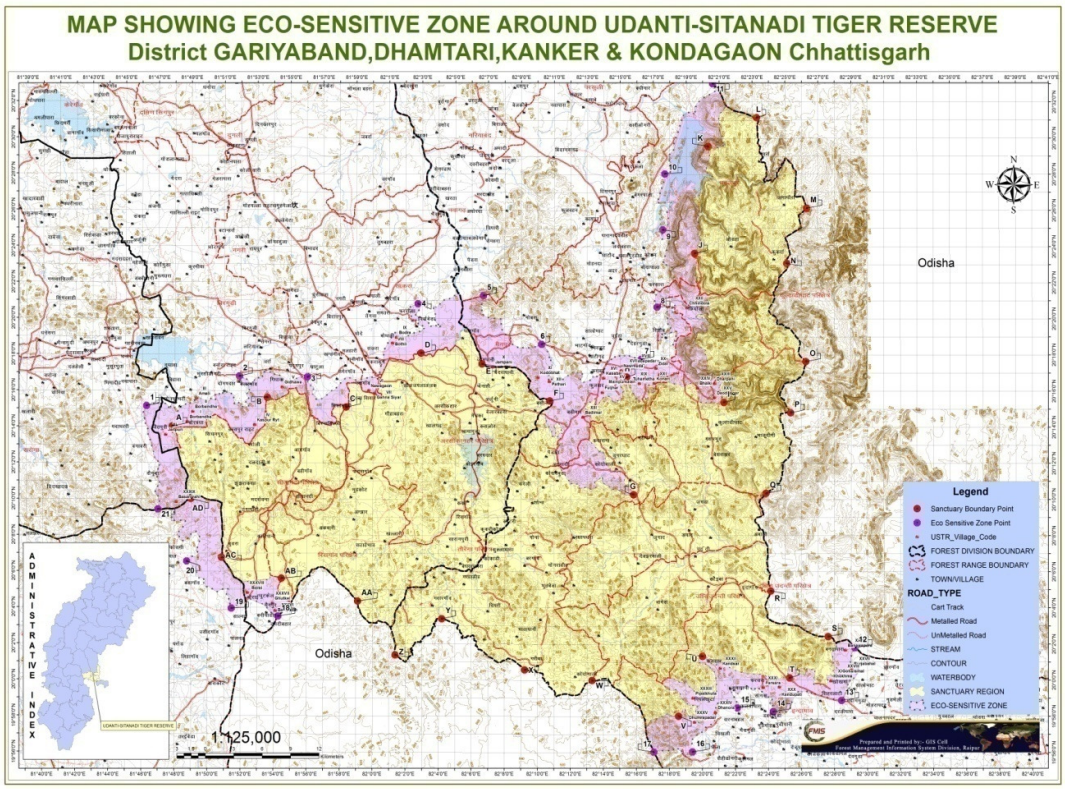

उपाबंध I (क)

उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व की सीमा के भू- निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु कोड़	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	ए	20°14'1.87"	81°47'50.69"
2	बी	20°15'38.27"	81°53'35.91"
3	सी	20°15'6.43"	81°58'22.82"
4	डी	20°18'5.92"	82°2'55.08"
5	ई	20°17'30.61"	82°6'37.33"
6	एफ	20°15'27.85"	82°10'44.57"
7	जी	20°10'16.49"	82°15'49.66"
8	एच	20°16'46.84"	82°15'24.16"
9	आई	20°15'22.73"	82°21'17.69"
10	जे	20°23'38.02"	82°19°30.60"
11	के	20°29'32.73"	82°20°20.75"
12	एल	20°31'8.74"	82°23'16.79"
13	एम	20°26'8.24"	82°26'19.11"
14	एन	20°23'5.09"	82°25'7.00"
15	ओ	20°17'38.58"	82°26'16.38"
16	पी	20°14'48.86"	82°25'20.92"
17	क्यू	20°10'21.30"	82°23'51.08"
18	आर	20°4'56.75"	82°24'8.32"
19	एस	20°2'25.20"	82°27'37.21"
20	टी	20°0'8.32"	82°25'16.56"
21	यू	20°1'19.82"	82°20°0.45"
22	वी	19°58'0.81"	82°18'33.18"
23	डब्ल्यू	19°59'59.27"	82°13'19.02"
24	एक्स	20°0'34.20"	82°9'13.78"
25	वाई	20°3'23.64"	82°4'12.09"
26	जेड़	20°1'23.87"	82°1'23.07"
27	एए	20°4'22.20"	81°59'6.40"
28	एबी	20°5'37.64"	81°54'28.81"
29	एसी	20°6'46.72"	81°50'50.92"
30	एडी	20°10'1.50"	81°48'59.08"

उपाबंध–I(ख)

उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	1	20°15'9.41"	81°46'16.53"
2	2	20°16'48.74"	81°51'54.29"
3	3	20°16'46.15"	81°56'2.23"
4	4	20°20°49.72"	82°2'44.19"
5	5	20°21'17.17"	82°6'42.16"
6	6	20°18'35.73"	82°10'13.92"
7	7	20°17'46.01"	82°16'16.53"
8	8	20°20°39.83"	82°17'14.34"
9	9	20°24'56.54"	82°17'35.01"
10	10	20°28'1.97"	82°17'42.30"
11	11	20°33'1.88"	82°20°35.90"
12	12	20°1'48.77"	82°29'14.47"
13	13	19°58'53.59"	82°28'25.70"
14	14	19°58'16.38"	82°24'17.26"
15	15	19°58'28.86"	82°22'7.24"
16	16	19°56'2.79"	82°19'24.33"
17	17	19°56'1.51"	82°17'4.05"
18	18	20°3'31.61"	81°54'16.83"
19	19	20°3'57.68"	81°51'27.25"
20	20	20°6'33.57"	81°48'44.30"
21	21	20°9'25.80"	81°46'59.16"

उपाबंध II

उदांती सीतानदी बाघ रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	संभाग	ग्राम का नाम	अक्षांश (डी एम एस)	देशांतर (डी एम एस)
I	धमतरी	बोरबंध	20° 14'50.91"	81° 49'4.48"
II	धमतरी	बोरबंध	20° 14'16.77"	81° 48'45.05"
III	धमतरी	अमली	20° 15'34.56"	81° 49'18.15"
IV	धमतरी	कसपुर रयत	20° 14'7.51"	81° 52'49.69"
V	धमतरी	गीधावा	20° 16'12.99"	81° 54'30.31"
VI	धमतरी	नवागांव	20° 16'1.67"	81° 59'44.85"
VII	धमतरी	गहना सीयार	20° 15'52.34"	82° 0'5.94"
VIII	धमतरी	बोथली	20° 18'39.56"	82° 1'11.42"
IX	धमतरी	बोदरा	20° 18'58.44"	82° 1'26.13"
X	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	जमपानी	20° 17'20.76"	82° 7'17.05"

XI	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	कोदोभाट	20° 16'45.94"	82° 10'1.18"
XII	उदांती- बाघ रिजर्व	पाथरी	20° 16'32.30"	82° 10'42.78"
XIII	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	बदीमार	20° 14'34.10"	82° 12'44.96"
XIV	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	फुल्झहार	20° 15'55.96"	82° 13'55.28"
XV	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	मनीपुरकालान	20° 16'16.17"	82° 14'10.28"
XVI	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	कस्बाइ	20° 16'44.09"	82° 14'0.19"
XVII	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	नवमुदा	20° 17'8.83"	82° 15'4.50"
XVIII	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	जदपदार	20° 17'25.34"	82° 16'0.88"
XIX	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	तुहामेथा	20° 16'25.69"	82° 16'9.80"
XX	उदांती-सीतानदी बाघ रिजर्व	जीदार	20° 17'16.36"	82° 17'10.79"

उपाबंध III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2017

S.O. 3712(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Udanti-Sitanadi Tiger Reserve is located in Gariaband and Dhamtari Districts, Chhattisgarh and is spread over an area of 1842.54 square kilometers. A number of waterfalls such as Godena and Deodhara, add richness to the scenic beauty of the natural landscape of the area and is endowed with rich biodiversity and forests. Drainage system of the Tiger Reserve consists of Mahanadi as the main river along with Udanti, Sitanadi, Indravan and Pairi Rivers as tributaries.

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is an important protected area known for its rich habitat. The Protected Area is the home to a variety of flora and fauna. Important floral species of the Protected Area include Satavar (Asparagus recemosus), Ramdataun (Smilax zeylanica), Char (Buchnania lanzan), Maida chhal (Listea glutinosa), Baibiding (Embelia robusta), Dhawra (Anogeissus latifolia), Rohni (Soymida febrifuga), Bija (Ptetocarpus marsupium), Kusum (Schleichera oleosa), etc.

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is also the home to several mammals, birds, amphibians, reptiles, fish, and a variety of butterflies and insects. Some important mammals of the area include Tiger (*Panthera tigris*), Panther (*Panthera pardus*), Wild Buffalo (*Bubalus bubalis*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Barking Deer (*Muntiacus muntajak*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), etc. Key bird species of the Protected Area include the Brown Fish Owl (*Bubo zeylonensis*), Golden Backed Wood-pecker (*Dinopium benghalense*), White spotted Fantail Flycatcher (*Rhipidura albicollis*), Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*), and several other species. The endemic flora of the area is Salparni (*Desmodium gangeticum*) and endemic fauna is the Rusty spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*).

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, as Eco-sensitive zone (ESZ) from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of upto 4.2 kilometre around the boundary of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve in the Districts of Gariaband and Dhamtari, Chhattisgarh as the Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 to 4.2 kilometres around the Udanti-Sitanadi Tiger Reserve. Zero extent is towards Eastern and Southern sides due to interstate boundary with Odisha. The area of the Eco-Sensitive Zone is 472.14 square kilometers.

(2) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and the list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (A) and (B)** respectively.

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulations specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

i. Environment;
ii. Forest and Wildlife;
iii. Agriculture;
iv. Revenue;
v. Urban Development;
vi. Tourism;
vii. Rural Development;
viii. Irrigation and Flood Control;
ix. Municipality;
x. Panchayati Raj;
xi. Chhattisgarh State Pollution Control Board;

xii. Public Works Department.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, archaeological monuments, heritage structures, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Chhattisgarh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Chhattisgarh.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Udanti Sitanadi Tiger Reserve or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from

the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Monitoring Committee.-**Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the State Government/Union Territory shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the composition given at Para 5, without referring to the Central Government.

(5) **Natural Heritage.-**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Man-made heritage sites.-**Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(7) **Noise pollution.-**The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(8) **Air pollution.-**Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(9) **Discharge of effluents.-**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(10) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(11) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste management and disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(i) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(12) **Plastic Waste Management**.-The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Construction and Demolition Waste Management**.-The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(14) **E-waste**.-The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(15) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(16) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuels like CNG, LPG, etc.

(17) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area of WLS or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this Notification.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws except railway lines. Underground cabling may be promoted.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

19.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
20.	Air, vehicular and Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
24.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws except for local people.
27.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited except for official monitoring/survey by the Forest Department.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Biomedical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
37.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986. Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the State Government shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the following composition without referring to the Central Government.

i. Collector, Gariaband -Chairperson;

ii. Collector, Dhamtari -Member;

iii. An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of three years -Member;

iv.	Divisional Forest Officer Gariaband	-Member;
v.	Divisional Forest Officer Dhamtari	-Member;
vi.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Gariaband and Dhamtari	-Member;
vii.	Representative from Chhattisgarh State Pollution Control Board	-Member;
viii.	One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of three years	-Member;
ix.	Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board	-Member;
x.	Executive Engineer, Public Works Department Gariyaband/Dhamtari	-Member;
xi.	Executive Engineer, Public Health Engineering, Gariyaband/Dhamtari	-Member;
xii.	Member State Biodiversity Board Raipur	-Member;
xiii.	Deputy Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	-Member Secretary.

6. Terms of Reference.—

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/30/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, Chhattisgarh along with Eco-Sensitive Zone

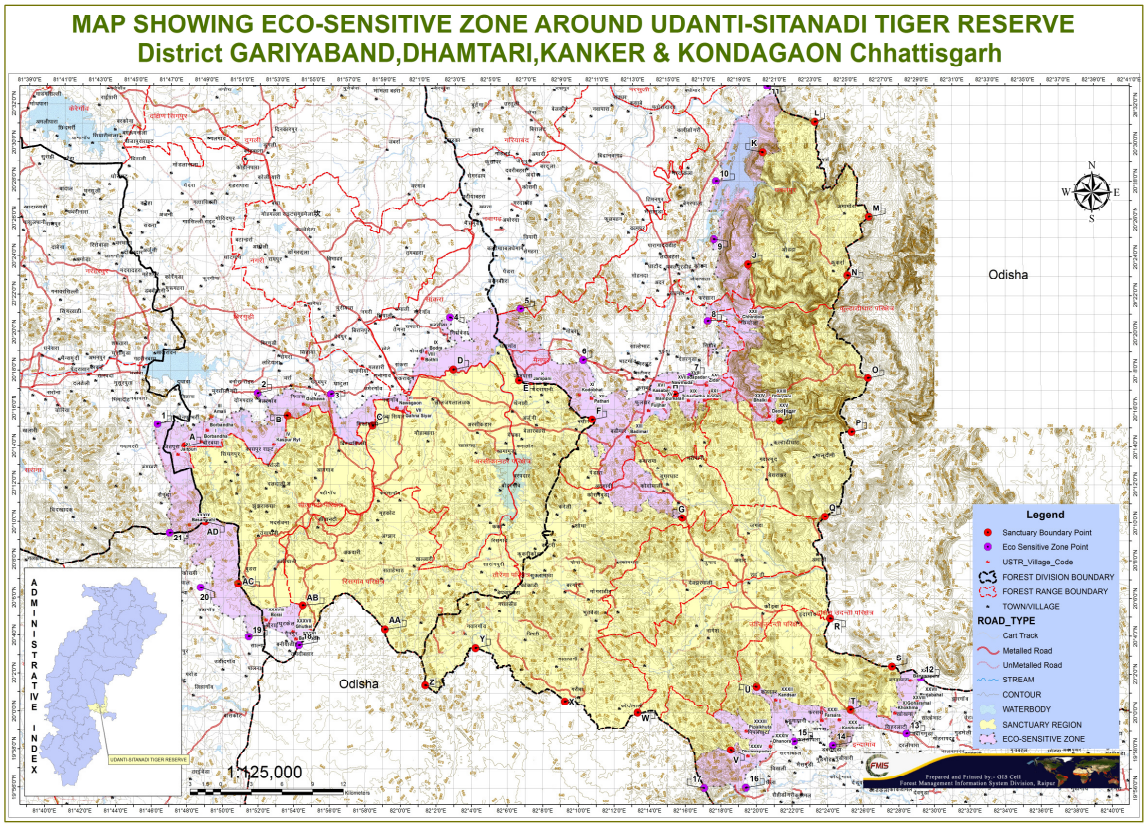

Annexure-I A

Geo Co-ordinates of boundary of Udanti Sitanadi Tiger Reserve

Sl. No	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	A	20°14'1.87"	81°47'50.69"
2	B	20°15'38.27"	81°53'35.91"
3	C	20°15'6.43"	81°58'22.82"
4	D	20°18'5.92"	82°2'55.08"
5	E	20°17'30.61"	82°6'37.33"
6	F	20°15'27.85"	82°10'44.57"
7	G	20°10'16.49"	82°15'49.66"
8	H	20°16'46.84"	82°15'24.16"
9	I	20°15'22.73"	82°21'17.69"
10	J	20°23'38.02"	82°19°30.60"
11	K	20°29'32.73"	82°20°20.75"
12	L	20°31'8.74"	82°23'16.79"
13	M	20°26'8.24"	82°26'19.11"
14	N	20°23'5.09"	82°25'7.00"
15	O	20°17'38.58"	82°26'16.38"

16	P	20°14’48.86”	82°25’20.92”
17	Q	20°10’21.30”	82°23’51.08”
18	R	20°4’56.75”	82°24’8.32”
19	S	20°2’25.20”	82°27’37.21”
20	T	20°0’8.32”	82°25’16.56”
21	U	20°1’19.82”	82°20°0.45”
22	V	19°58’0.81”	82°18’33.18”
23	W	19°59’59.27”	82°13’19.02”
24	X	20°0’34.20”	82°9’13.78”
25	Y	20°3’23.64”	82°4’12.09”
26	Z	20°1’23.87”	82°1’23.07”
27	AA	20°4’22.20”	81°59’6.40”
28	AB	20°5’37.64”	81°54’28.81”
29	AC	20°6’46.72”	81°50’50.92”
30	AD	20°10’1.50”	81°48’59.08”

Annexure I (B)

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve

Sl. No	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	1	20°15’9.41”	81°46’16.53”
2	2	20°16’48.74”	81°51’54.29”
3	3	20°16’46.15”	81°56’2.23”
4	4	20°20°49.72”	82°2’44.19”
5	5	20°21’17.17”	82°6’42.16”
6	6	20°18’35.73”	82°10’13.92”
7	7	20°17’46.01”	82°16’16.53”
8	8	20°20°39.83”	82°17’14.34”
9	9	20°24’56.54”	82°17’35.01”
10	10	20°28’1.97”	82°17’42.30”
11	11	20°33’1.88”	82°20°35.90”
12	12	20°1’48.77”	82°29’14.47”
13	13	19°58’53.59”	82°28’25.70”
14	14	19°58’16.38”	82°24’17.26”
15	15	19°58’28.86”	82°22’7.24”
16	16	19°56’2.79”	82°19’24.33”
17	17	19°56’1.51”	82°17’4.05”
18	18	20°3’31.61”	81°54’16.83”
19	19	20°3’57.68”	81°51’27.25”
20	20	20°6’33.57”	81°48’44.30”
21	21	20°9’25.80”	81°46’59.16”

Annexure II

List of villages falling in Udanti-Sitanadi Tiger Reserve Eco –sensitive Zone

Sl. No.	Division	Name of Villages	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
I	Dhamtari	Borbandha	20° 14'50.91"	81° 49'4.48"
II	Dhamtari	Borbandha	20° 14'16.77"	81° 48'45.05"
III	Dhamtari	Amali	20° 15'34.56"	81° 49'18.15"
IV	Dhamtari	Kaspur Ryt	20° 14'7.51"	81° 52'49.69"
V	Dhamtari	Gidhawa	20° 16'12.99"	81° 54'30.31"
VI	Dhamtari	Nawagaon	20° 16'1.67"	81° 59'44.85"
VII	Dhamtari	Gahna Siyar	20° 15'52.34"	82° 0'5.94"
VIII	Dhamtari	Bothli	20° 18'39.56"	82° 1'11.42"
IX	Dhamtari	Bodra	20° 18'58.44"	82° 1'26.13"
X	Udanti-Sitanadi TR	Jampani	20° 17'20.76"	82° 7'17.05"
XI	Udanti-Sitanadi TR	Kodobhat	20° 16'45.94"	82° 10'1.18"
XII	Udanti-Sitanadi TR	Pathari	20° 16'32.30"	82° 10'42.78"
XIII	Udanti-Sitanadi TR	Badimar	20° 14'34.10"	82° 12'44.96"
XIV	Udanti-Sitanadi TR	Fuljhar	20° 15'55.96"	82° 13'55.28"
XV	Udanti-Sitanadi TR	Mainpurkalan	20° 16'16.17"	82° 14'10.28"
XVI	Udanti-Sitanadi TR	Kasabai	20° 16'44.09"	82° 14'0.19"
XVII	Udanti-Sitanadi TR	Nawmuda	20° 17'8.83"	82° 15'4.50"
XVIII	Udanti-Sitanadi TR	Jadapadar	20° 17'25.34"	82° 16'0.88"
XIX	Udanti-Sitanadi TR	Tuhametha	20° 16'25.69"	82° 16'9.80"
XX	Udanti-Sitanadi TR	Zidar	20° 17'16.36"	82° 17'10.79"

Annexure III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.28 18:54:39 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.